कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

संख्याः-2167/एफएस-15 दिनांकः ~~दिसम्बर~~ जनवरी 04, 2016

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक
ओमेक्स लि0, साइबर टावर
द्वितीय तल टीसी-34/वी-2 विभूतिखण्ड
गोमतीनगर,लखनऊ।

विषयः- ख0 सं0- 400,404,405,408पी,409,410,411,412पी,480पी,497 व446जीएस सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में मैसर्स ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग-1 भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-23-12-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवॅ भवन निर्माण एवॅ विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीशीलन किया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-।

भवन की संरचनाः-

1-कुल भूखण्ड एरिया- 44976.68 वर्गमीटर।

ब्लाक-ए

- प्रस्तावित भूतल का कर्वड एरिया- 394.634 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 342.033 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 16 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया- 352.321 वर्गमीटर।
- 17 वें तल का कर्वड एरिया- 366.927 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 384.590 वर्गमीटर।

ब्लाक-बी

- प्रस्तावित भूतल का कर्वड एरिया- 1277.137 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 1202.285 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 17 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया- 1238.047 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 1235.535 वर्गमीटर।

2-बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया- 30019.060 वर्गमीटर।

3-भवन के प्रत्येक ब्लाक की ऊँचाई-57.600 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 45.00 मी0 रोड की चौडाई है।

2-प्रवेश व निकास द्वार प्रत्येक की चौडाई-06.00 मी0 है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन के ब्लाक-ए मे दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौडाई-01.50 मीटर व ब्लाक-बी मे चार स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से टेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5-**रिफ्यूज एरिया का विवरण**-प्रत्येक ब्लाक मे बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-**भूमिगत टैंक**-भूमिगत टैंक-250000 ली0 क्षमता का मानचित्र मे प्राविधानित है।

2-**पम्प**-भूमिगत टैक के पास मेन पम्प-2850 एलपीएम क्षमता का दो विद्युत चालित पम्प ,एक डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम क्षमता ,एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का प्राविधान मानचित्र मे किया गया है।

3-**होजरील**-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिग वाल्ब आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4-**वेटराइजर**-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरुप प्राविधानित है।

5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईडेन्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार प्राविधानित है।

6-**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**-मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**- भवन के प्रत्येक ब्लाक मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**-बेसमेंट व ब्लाक के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया गया है।

9-**टेरिस टैंक**-भवन के प्रत्येक ब्लाक के टैरिस पर टेरिस टैंक-25000 ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।

10-**टेरिस पम्प**-आवश्यक नही है।

11-**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूसर)**-भवन के प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

12-**स्मोक एक्सटेक्शन सिस्टम**-प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के बेसेन्ट मे स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

13-**एग्जिट साइनेज**-सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

14-**पी0ए0 सिस्टम**-सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

15-**प्रशिक्षित स्टाफ**-ग्रुप हाउसिंग भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर ख0 सं0-400,404,405,408पी,409,410,411,412पी,480पी,497 व446जीएस सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में मैसर्स ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग-1 को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>**संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।**</u>

26.04.2016

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपिः-

1-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।